(4)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद सं0–05/2014–15

श्रीमती मधु देवी बनाम अंचल अधिकारी, दुमका

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
23-5-18	आदेश प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–05/14–15 श्रीमती मधु देवी, पति–श्री विजय कुमार मोदी, ग्राम–पुराना दुमका, पुलिस क्लब रोड, दुमका थाना–दुमका नगर, जिला–दुमका के द्वारा अंचल कार्यालय, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–75/10–11 के विरुद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा–गिधनीपहाड़ी नं0–13, वर्तमान मौजा–दुमका नगर तौजी नं0–06, बसौड़ी जमाबंदी नं0–32/19/8 दाग सं0–791 का अंश, सब दाग नं0–791/8 रकवा 00–04–00 (चार कट्ठा) जमीन सेल डीड के द्वारा श्रीमती बंदना चौधरी, पति–श्री उमा पद चौधरी, सा0–चन्दराडीह, थाना–नाला, जिला–जामताड़ा से प्राप्त किया है जिसका नामान्तरण अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–75/10–11 आदेश दिनांक 20.07.10 द्वारा किया गया है। निर्गत शुद्धि पत्र(Correction Slip) श्रीमती बंदना चौधरी के जमीन से स्थानान्तरित न करके दीप सिंह नाहर वो ललित सिंह नाहर वो तरुण सिंह नाहर, पिता–स्व0 जौहर सिंह नाहर के खाता से स्थानान्तरति कर श्रीमती मधु देवी के नाम से पंजी II में दर्ज किया गया है। आज भी श्रीमती बंदना चौधरी का नाम अंचल कार्यालय के रजिस्टर– II मौजा–दुमका नगर, Volume –VII नया पेज नं0–36 में दर्ज है। अपीलकर्ता श्रीमती मधु देवी के द्वारा अनुरोध किया गया है कि अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत नामान्तरण शुद्धि पत्र (Correction Slip) में दीप सिंह नाहर वो ललित सिंह नाहर वो तरुण सिंह नाहर के खाते से जमीन स्थानान्तरति न कर श्रीमती बंदना चौधरी के खाते से जमीन का स्थानान्तरण कर संशोधन शुद्धि पत्र निर्गत किया जाय। मैने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अंचल अधिकारी, दुमका के द्वारा निर्गत जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–75/10–11 में भूलवश दीप सिंह नाहर वो उदित सिंह नाहर वो तरुण सिंह नाहर, पिता–स्व0 जौहर सिंह नाहर के खाता सं0–32/19 से घटाने का आदेश	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	अंकित है, जबकि निबंधित दलील संख्या 518/10 के अनुसार आवेदिका मधु देवी के द्वारा श्रीमती बंदना चौधरी पति–श्री उमा पद चौधरी के खाता सं0–32/19/8 के दाग सं0–791 के अंश रकवा 00–04–00(चार कट्ठा) जमीन घटाने का आदेश अंकित होना चाहिए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी दुमका द्वारा खतियान/रजिस्टर– II/निबंधन डीड का ध्यान पूर्वक जाँच न कर इस प्रकार का त्रुटिपूर्ण आदेश निर्गत किया गया। भविष्य में उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अतः अंचलाधिकारी दुमका को आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं उक्त नामान्तरण वाद का जाँच कर शुद्धि पत्र में संशोधन करेंगे। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	